

२-५-१७

पञ्जाबली राजस्वलेख अदालत, न्याय इकायके
द्वारा २०१८ में अदालत सेवा केन्द्र बल्लभलाल क्रीडापी
पेश हुई। सहा. अति. साबन्धि वि. उपखण्ड,
जोबनेर के क्रमांक ७१५ दि. २-५-१६ पेश
कर निवेदन किया है कि उन जाद में कोई
बादकारण शोषादी नहीं है इसलिये बाद खारिज
परमाया जावे। अल. जादी के निवेदन पर बाद
खारिज किया गया। पञ्जाबली फंसल शुमार
देकर इन नम्बर से जाते। आदेश मजमे
जाम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साबरलेक

मा. २१५